न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

प्रार्थना पत्र मैन्यूल संख्या 141/2018
आरसीएमएस संख्या 2018/00377

श्रीमति भूला देवी पत्नि श्री घीसालाल जाति बाहमण निवासी चान्दोलाई तहसील सरवाड जिला अजमेर

वादीगण

बनाम

1. श्री दशरथ पुत्र बिहारीलाल जाति बाहमण
2. श्री परमेश्वर पुत्र दशरथ जाति बाहमण निवासी चांदोलाई
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सरवाड
4. उप पंजीयक उप पंजीयन कार्यालय सरवाड

– प्रतिवादी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील 1. श्री द्वारका प्रसाद पंचाली वादी

निर्णय दिनांक 03.03.2020

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया कि ग्राम बिडला के खसरा नं0 22,23,25,311,1071 किता–5 रकबा 32–10–00 बीघा जो प्रार्थिया के पति घीसालाल एवं अप्रार्थी संख्या 1 को जमनालाल की विरासत से प्राप्त हुई है जमनालाल जो कि प्रार्थिया के ससुर एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता बिहारीलाल का सगा भाई है तथा जमनालाल अविवाहित नाऔलाद फौत होने के उपरान्त प्रार्थिया के पति एवं अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जरिये विरासत से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा दिनांक 21.2.2011 जरिये दान से प्रार्थिया के पति घीसालाल से प्रार्थिया के नाम 1/2 राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है तथा तभी से उपरोक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थया एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजीयात है जिसमें प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है इसी हिस्से अनुसार प्रार्थिया व अप्रार्थीगण मौके पर काश्त करते चले आ रहे है । अप्रार्थी का प्रार्थिया के हिस्से में किसी प्रकार का वास्ता व सरोकार नही है ।

यह है कि आराजीयात ख.न 22 रकबा 00–02–00 बीघा किस्म गै.मु. चाह है जिसमें प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 अविभाजित का 1/2 हिस्सा है यह की उक्त वाद वर्णित आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 आये दिन कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करते है तथा प्रार्थिया के 1/2 हिस्से को नष्ट भ्रष्ट करने पर आमादा है । तथा धमकिया देते है कि उक्त हिस्से पर प्रार्थिया को काबिज नही रहने देगे अन्तरण व बेचान कर देंगे। प्रार्थिया को निवेदन है कि उक्त सम्पूर्ण आराजीयात में प्रार्थिया का 1/2 हिस्सा है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है । तथा आराजीयात का विधीवत रूप से विभाजन किया जाकर प्रार्थया एवं अप्रार्थीगण को अपने अपने हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में तरमीम किया जाना उचित होगा।

यह है कि अप्रार्थी 1 से 2 द्वारा दिनांक 5.10.2018 को वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी को जबरन बेदखल करने की धमकी दी व विक्रय करने की घोषणा की। जिस कारण प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को वादग्रस्त आराजीयात के बाबत कोई दस्तावेज पंजीबद्ध ना करे व रेकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुए। जिस पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये जवाबबंद किया गया। बहस वादी वकील सुनी गयी पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थिया एवं अप्रार्थी सं0 1 वादगत भूमि में अभिलिखित खातेदार के रूप में 1/2 हिस्सा दर्ज है। चूंकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण वादगत भूमि में सह खातेदार के रूप में दर्ज है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के पक्ष में समान प्रतीत होता है।

चूंकि वादगत भूमि पर प्रार्थिया व अप्रार्थी नम्बर 1 सह खातेदार है और सहखातेदार की भूमि पर प्रत्येक इंच पर अपने स्वामित्व तक प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा माने जाने की विधिक अवधारणा है। अतः सुविधा का संतुलन भी पूर्णतया प्रार्थिया के पक्ष में नहीं है।

प्रार्थिया व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त भूमि को लेकर विभाजन हेतु वाद लंबित है। प्रार्थिया के हक व अधिकार गुणवगुण व साक्ष्य के आधार पर मूल वाद में तय किए जांएगें एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थिया अपने पक्ष में सिद्ध करने में असफल रहे है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफतर हो।

(नायमती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ (अजमेर)

Scanned with CamScanner